

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 15/2019

मैसर्स गिरी लेमिनेशन जरिये प्रोपराईटर भागमल गिरी पुत्र स्व० श्री अवतार गिरी, जाति-गोस्वामी, निवासी-प्लाट नं० 58, बालाजी विहार-7, रोड नं० 14, वीकेआई एरिया, न्यू लोहा मण्डी, माचडा, जयपुर।

अपीलान्त,

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, चौमू, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।

रेस्पोंडेंट,

(अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11.10.2018 जिसके जरिये तहसीलदार, चौमू द्वारा ख०नं० 2286/1 रकबा 0.50 हे० भूमि का हिस्सा 1111/5000 भाग का नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया)

उपस्थित:-

1. श्री के.आर.अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. परोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.09.2019

यह अपील अपीलान्त द्वारा 2223 वर्ग मीटर औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि में से दिनांक 23.08.2016 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र 1111.50 वर्ग मीटर भूमि को क्रय करने के पश्चात् तहसीलदार, चौमू द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक नही करने पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.10.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से वादग्रस्त नामान्तरकरण प्राप्त किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्त के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम कालाडेरा स्थित ख०नं० 2286/1 रकबा 0.50 हे० भूमि का हिस्सा 1111/5000 औद्योगिक प्रयोजनार्थ है। उक्त भूमि में से हिस्सा 1389/2500 भाग राजस्व रिकार्ड में श्री रामलाल, रामकिशोर, आनन्द कुमार, ओम प्रकाश पि० भागीरथ, जाति-खटीक, निवासी-ग्राम कालाडेरा के नाम अंकित थी। जिसमें से एक भू-खण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 2223 वर्ग मीटर को श्री दीपेश ऑटो फाउण्ड्री प्रा.लि. रजि. ऑफिस प्लाट नं० 55, जगदम्बा कॉलोनी, ढहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर ने दिनांक 30.05.2011 को जरिये विक्रय पत्र खरीद किया था। जिसका नामान्तरकरण दीपेश ऑटो फाउण्ड्री के नाम से खुला चुका था। औद्योगिक रूपान्तरित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 2223



वर्गमीटर था उसमें से दिनांक 16.03.2012 को दीपेश ऑटो फाउण्ड्री प्रा. लि. ने दक्षिण की ओर का एक भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 1111.50 वर्गमीटर को दिनांक 16.03.2012 को मैसर्स भाविका एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर जयशंकर शुक्ला पुत्र श्री रामस्वरूप शुक्ला, जाति-छीपा, निवासी-ग्राम जयरामपुरा, तहसील-आमेर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान किया था जिसका भी नामान्तरकरण मैसर्स भाविका एन्टरप्राइजेज के नाम से खुल चुका था। इसके पश्चात् मैसर्स भाविका एन्टरप्राइजेज ने दिनांक 23.08.2016 को दक्षिण ओर का भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 1111.50 वर्गमीटर है को मैसर्स गिरी लेमिनेशन जरिये प्रोपराईटर भागमल गिरी पुत्र स्व० अवतार गिरी, जाति-गोस्वामी, निवासी-प्लाट नं० 58, बालाजी विहार-7, रोड नं० 14, वीकेआईए एरिया, न्यू लोहा मण्डी, माचडा, जयपुर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया था। उक्त खरीद की गई भूमि का नामान्तरकरण खौले जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.08.2018 को रेस्पोजेन्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे रेस्पोजेन्ट द्वारा अन अप्रूव्ड प्लान होना मानते हुए अपीलान्ट का नामान्तरकरण खौले जाने के आवेदन को दिनांक 11.10.2018 को खारिज कर दिया। रेस्पोजेन्ट तहसीलदार द्वारा रूपान्तरण आदेश की प्रति पेश नहीं करना अपने आदेश में उल्लेखित किया है। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2011, 16.03.2012 के द्वारा नामान्तरकरण खौला गया है। दिनांक 16.03.2012 के विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण खौला गया है तब नॉन अप्रूव्ड प्लान की सिचुएशन नहीं थी और अपीलान्ट द्वारा भू-खण्ड को क्रय करने के पश्चात् नामान्तरकरण हेतु आवेदन करने पर अन अप्रूव्ड प्लान की श्रेणी में लिया जाना कानून की दृष्टि में भेदभाव पूर्ण है। जबकि सम्पूर्ण 2223 वर्ग मीटर भूमि ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण है। दिनांक 23.08.2016 के विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोजेन्ट तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था परन्तु रेस्पोजेन्ट ने नामान्तरकरण पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है। अतः आदेश दिनांक 11.10.2018 विधि-विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें।

हमने परोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस परोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट से रूपान्तरण आदेश की प्रति चाही गई थी। प्रकरण में विक्रय की गई कुल रूपान्तरित भूमि में से एक भू-खण्ड का विक्रय किया गया है, जो नियमानुसार अन अप्रूव्ड प्लान का पार्ट है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जाना विधि सम्मत है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय से तहसीलदार, चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 को खारिज कर नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित करने की प्रार्थना की गई है, परन्तु तहसीलदार, चौमू द्वारा दिनांक 12.10.2018 को इस प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है ना कि दिनांक 11.10.2018 को। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलान्ट निरस्त दिनांक के संबंध में पेश होने के कारण श्रवण योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, चौमू से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। तहसीलदार, चौमू से प्राप्त हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.10.2018 को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया




(Handwritten signature)

है। तहसीलदार, चौमू द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 11.10.2018 को कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली बाद तकसिला दाखिल दफतर हो।



निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.09.2019 को सुनाया गया।


(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर